कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 27/02/2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 26.02.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. **थाना जमानियां पुलिस टीम द्वारा 96 टेट्रा पैक 8 PM अंग्रेजी नजायज शराब (प्रत्येक पाऊच 180 ML कुल-17.28 लीटर) के साथ 05 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 25.02.2026 को आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर हेतिमपुर नहर पुलिया के पास से अभियुक्त पहलाज कुमार पुत्र विजय बिन्द निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना बिन्द जनपद नालन्दा बिहार उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 20 टेट्रा पैक 8 PM अंग्रेजी नजायज शराब बरामद हुआ । अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 55/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया व ग्राम करजही रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त राजेश बिन्द पुत्र विजय बिन्द नि0ग्राम गोविन्दपुर थाना बिन्द जिला नालन्दा बिहार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 18 टेट्रा पैक 8 PM अंग्रेजी नजायज शराब बरामद हुआ । अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 56/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया एवं बडेसर नहर पुलिया से अभियुक्त 01. रवीश कुमार पुत्र नागेश्वर सिंह निवासी ग्राम दिलावरपुर थाना बिहटा जनपद पटना बिहार उम्र करीब 45 वर्ष 02. सन्तोष बिन्द पुत्र सुनील बिन्द निवासी मोकर थाना करौना जिला जहानाबाद बिहार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 39 टेट्रा पैक 8 PM अंग्रेजी नजायज शराब बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 57/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया एवं गाय घाट मोड़ से अभियुक्त दीपक बिन्द पुत्र विजय बिन्द नि0ग्राम गोविन्दपुर थाना बिन्द जिला नालन्दा बिहार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 19 टेट्रा पैक 8 PM अंग्रेजी नजायज शराब बरामद हुआ । अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व आपराधिक इतिहास

01.पहलाज कुमार पुत्र विजय बिन्द नि0ग्राम गोविन्दपुर थाना बिन्द जनपद नालन्दा बिहार उम्र 20 वर्ष

(i) मु0अ0सं0 55/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

02. राजेश बिन्द पुत्र विजय बिन्द नि0ग्राम गोविन्दपुर थाना बिन्द जिला नालन्दा बिहार उम्र करीब 22 वर्ष
(i) मु0अ0सं0 56/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर
03.रवीश कुमार पुत्र नागेश्वर सिंह निवासी ग्राम दिलावरपुर थाना बिहटा जनपद पटना बिहार उम्र करीब 45 वर्ष
(i) मु0अ0सं0 57/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर
04. सन्तोष बिन्द पुत्र सुनील बिन्द निवासी मोकर थाना करौना जिला जहानाबाद बिहार
(i) मु0अ0सं0 57/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर
05. दीपक बिन्द पुत्र विजय बिन्द नि0ग्राम गोविन्दपुर थाना बिन्द जिला नालन्दा बिहार
(i) मु0अ0सं0 58/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

<u>बरामदगी</u>

01. **96 टेट्रा पैक 8 PM अंग्रेजी नजायज शराब (प्रत्येक पाऊच 180 ML कुल- 17.28 लीटर)**

<u>02. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मुकदमे के 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 02 नफर अभियुक्त को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000-8,000 रू0 के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।"</u>

दिनांक 26.02.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2024 धारा 85,80 BNS, ¾ DP Act से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए कुल 03 नफर अभियुक्त 01. संदीप कश्यप पुत्र किशुन कश्यप 02. किशुन कश्यप पुत्र स्व0 केदार कश्यप 03. बसंती पत्नी किशुन कश्यप समस्त निवासीगण अलीपुर मदरा थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 85,80BNS, ¾ DP Act में अभियुक्त संदीप कश्यप को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, किशुन कश्यप व बसंती देवी को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000-8,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

<u>03. थाना जमानियाँ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2026 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 26.02.2026 को उ0नि0 भूपेशचन्द्र कुशवाहा मय हमराह द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2026 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिव बिन्द पुत्र कुन्दन बिन्द निवासी हेतिमपुर (डेरा) थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष को पाण्डेय मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता आपराधिक इतिहास
01. शिव बिन्द पुत्र कुन्दन बिन्द निवासी हेतिमपुर (डेरा) थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष
(i) मु0अ0सं0- 53/2026 धारा 109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा-103(1) बीएनएस थाना जमानिया जनपद।

<u>बरामदगी</u>

01.मछली काटने वाला (दाव)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -</u>

1 .उ0नि0 भूपेशचन्द्र कुशवाहा थाना जमानियाँ गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर